आदेश पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक.................................... से..................................... तक

अंचल– कुरडेग जिला– सिमडेगा

वाद संख्या– 06/22-23 वाद का प्रकार–

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
1	2	3
16/08/2022	इस वाद का संधारण छोटेलाल साहू पिता–स्व0 राम साहू, ग्राम– लबडेरा के आवेदन के आलोक में किया गया। आवेदक ने दावा किया है कि मौजा–लबडेरा, खाता संख्या–2, प्लॉट संख्या–905, रकबा–0.64 एकड़ भूमि का क्रय निबंधित पट्टा संख्या–809, दिनांक–15.10.1982 के द्वारा खरीदगी के पश्चात दाखिल–खारिज वाद संख्या–7R27/83-84 द्वारा दाखिल खारिज करा कर शांतिपूर्ण दखलकार है, परन्तु डमरु प्रधान, पिता–स्व0 बिशनु प्रधान के द्वारा उनकी भूमि पर अवैध रुप से दखल करते हुए वृक्षा रोपन किया जा रहा है जो गलत है। अतः उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कृपा की जाय। प्रार्थी के आवेदन को न्यायालय स्वीकृत करती है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें तथा उभय पक्षों से भूमि संम्बधी दस्तावेज की मांग करते हुए नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 13/09/2022 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, कुरडेग।	
13/09/2022	**अभिलेख उपस्थापित।** नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त/~~अप्राप्त~~। उभय पक्ष न्यायालय में ~~उपस्थित~~/अनुपस्थित। राजस्व प्रतिवेदन अप्राप्त। अभिलेख दिनांक 30/09/2022 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, कुरडेग।	
30/09/2022	**अभिलेख उपस्थापित।** नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त/~~अप्राप्त~~। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित/~~अनुपस्थित~~। राजस्व प्रतिवेदन अप्राप्त। अभिलेख दिनांक 18/10/2022 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, कुरडेग।	

18|10|2022
27|12|2022

अभिलेख उपस्थापित।

उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित/अनुपस्थित। राजस्व प्रतिवेदन प्राप्त।

राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक ने जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि सर्वे खतियान अनुसार जिरात खाते की भूमि है। जिरात मालिक घासी राम प्रधान, मौजा–लबडेरा, खाता संख्या–2, प्लॉट संख्या–905, रकबा–0.64 एकड़. भूमि, के नाम से दर्ज है जो आवेदक के वंशज हैं। उन्होने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि प्रतिवादी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर 0.64 एकड़ भूमि पर आमबागवानी का कार्य किया जा रहा है। आवेदित भूमि मौजा–लबडेरा, खाता संख्या–2, प्लॉट संख्या–905, रकबा–0.64 एकड़ भूमि का क्रय निबंधित पट्टा संख्या–809, दिनांक–15.10.1982 के द्वारा खरीदगी के पश्चात दाखिल–खारिज वाद संख्या–7R27/83-84 द्वारा दाखिल खारिज करा कर जमाबंदी कायम है, अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा के न्यायालय में दायर वाद में पारित आदेश के आलोक में उक्त जमाबंदी को रद्द करते हुए विशनु प्रधान के नाम से जमाबंदी कायम की गयी।

उक्त आलोक में न्यायालय अपर समाहर्त्ता, सिमडेगा में रेभेन्यू अपील वाद संख्या–53/86 दायर किया गया जिससे माननीय न्यायालय ने प्रार्थी के अपील को नामंजुर कर दिया। पुनः प्रार्थी ने न्यायालय आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर के न्यायालय में Mutation Revision Case- 493/1986 दायर किया जिसमें माननीय न्यायालय ने निम्न न्यायालय में पारित आदेश को सही बतलाते हुए अपील को नामंजुर कर दिया। प्रश्नगत्त भूमि से संबंधित हक–हकियत वाद माननीय मुनसिफ न्यायालय सिमडेगा में लंबित है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मौजा–लबडेरा, खाता संख्या–2, प्लॉट संख्या–905, रकबा–0.64 एकड़ भूमि, पर मामला हक–हकियत का बनता है एवं उक्त वाद का माननीय मुनसिफ न्यायालय सिमडेगा में लंबित रहने के कारण इस वाद का निस्तारण राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधीन नहीं है अतः प्रार्थी छोटेलाल साहू के आवेदन को निरस्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी,
कुरडेग।

अंचल अधिकारी,
कुरडेग।

Digitally signed by KRISHNA MURARI TIRKEY
Date: 2023.02.15 17:11:29 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:186a:32b0:9527:8ff9